Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Arbitration Case No.-74/2020]

Bishnudev Sah.....Petitioner.

Versus

The State of BiharOpposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	28.10.26	**आदेश** प्रासंगिक Arbitration वाद राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 के महेशखुट-सोनवर्षाराज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया खंड के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु अर्जित किये गये भूमि के निर्दिष्ट अंश यथा अंचल-सिमरी बख्तियारपुर, मौजा-बख्तियारपुर, थाना नं0-64, खाता संख्या-466 खेसरा संख्या-316 रकवा-0.14824 ए0 भूमि की उचित मुआवजा की राशि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मध्यस्थता हेतु दायर किया गया है। **आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि :-** 1. आवेदक की अर्जित की गयी भूमि नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर के वार्ड नं0-01 में अवस्थित है। वर्ष 2019 में अर्जित भूमि के अगल-बगल की भूमि 7,00,000/- रू0 प्रति कट्ठा की दर से बिक्री किया गया। लेकिन भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा गलत ढंग से किस्म 'कृषि' दर्शाकर दर निर्धारित किया गया है। 2. प्रश्नगत भूमि आवेदक को मिथलेश कुमार पिता-अरूण कुमार यादव से दिनांक-21.07.2013 को केवाला से खरीद है। 3. भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा गलत ढंग से प्रश्नगत भूमि का मुआवजा मात्र 7,16,694/- रू0 निर्धारित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। 4. आवेदक द्वारा अपने दावों के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया है :- i. जिला भू-अर्जन कार्यालय से निर्गत नोटिस की प्रति। ii. निबंधित केवाला संख्या-2928/2015 की प्रति। iii. निबंधित केवाला संख्या-3125/2019 की प्रति। iv. लगान रसीद की प्रति। **प्रश्नगत मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-227-2 दिनांक-19.02.2021 से समर्पित प्रतिवेदन में निम्न तथ्य अंकित है :-** 1. NH Act-1956 की धारा-3A के तहत दिनांक-06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना में आपत्ति आवेदन में अंकित खेसरा 316 का किस्म/प्रकृति 'कृषि' दर्ज है। 2. NH Act-1956 की धारा-3D के तहत दिनांक-02.05.2016 को अधिसूचित अधिसूचना (07.06.2016 को प्रकाशित) में खेसरा 316 का किस्म/प्रकृति 'कृषि' दर्ज है। 3. छः सदस्यीय उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में खेसरा सं0-316 में किस्म/प्रकृति 'कृषि' दर्ज है। 4. Ministry of Road Transport and Highway Govt. of India के परिपत्र सं0-NH-11011/30/2015LA दिनांक-28.12.2017 के द्वारा N.H. Act-1956 के तहत भू-अर्जन के संबंध	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

28.10.26

में निर्गत Comprehernsive guidelines की कंडिका-10(iii) के प्रावधान तथा कंडिका-02 में वर्णित तथ्यों के आलोक में अर्जित भूमि (मौजा/थाना नं0-बख्तियारपुर/64, खाता-466, खेसरा-316, रकवा-0.14824 ए0) का किस्म परिवर्तन एवं तदनानुसार मुआवजा भुगतान से संबंधित आवेदक द्वारा दायर किया गया वाद खारिज किया जा सकता है।

प्रश्नगत मामले में NHAI के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि :-

1. समाहर्त्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त आवेदक के प्रश्नगत खेसरा संख्या-316 का किस्म 'कृषि' पाया गया।
2. NH Act-1956 की धारा-3A में प्रकाशित अधिसूचना में आवेदक के भूमि का किस्म 'कृषि' प्रकाशित किया गया, जिसके विरूद्ध संबंधित रैयतों से आपत्तियां आमंत्रित की गई किन्तु आवेदक के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।
3. तत्पश्चात NH Act-1956 की धारा-3D में के तहत प्रकाशित अधिघोषणा में आवेदक के प्रश्नगत भूमि का किस्म 'कृषि' के अनुसार ग्रहण किया गया।
4. अधिग्रहण के समय प्रश्नगत भूमि पूर्णतया कृषि भूमि थी।
5. सक्षम प्राधिकार द्वारा सही ढंग से अर्जित भूमि की प्रकृति एवं मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। उक्त के आलोक में प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत मामले में NH Act-1956 के प्रावधानों तथा सभी संबद्ध पक्षों द्वारा लिखित में समर्पित पक्षों के अवलोकनोपरान्त यह तथ्य परिलक्षित होता है कि छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अधिग्रहित भूमि का किस्म 'कृषि' पाया गया था। 'कृषि' किस्म के जमीन के दर निर्धारण में NH Act-1956 की धारा-3G में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि संबंधित मौजा में आवेदक के जमीन के किस्म के अनुरूप मुआवजा राशि का निर्धारण संगत नियमों के आलोक में किया गया है। फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा घोषित अवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः इस Arbitration वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस Arbitration वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।
-सह-Arbitrator

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।
-सह-Arbitrator